भारत संघ एवं अन्य

बनाम

मैसर्स। इंड-स्विफ्ट लेबोरेटरीज लिमिटेड

(सिविल अपील संख्या। 1976 का 2011)

फरवरी 21, 2011

{डॉ. मुकुंदकम शर्मा और अनिल आर. डेव, जे. जे।}

सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004:

नियम 14- सेनवैट क्रेडिट पर ब्याज गलत तरीके से लिया गया- निर्णयः ब्याज का भुगतान सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने की तारीख से किया जाएगा न कि उपयोग की तारीख से-उच्च न्यायालय ने प्रावधानों को पढ़कर गलत तरीके से कार्यवाही की नियम 14 का अर्थ है कि जहां सेनवैट क्रेडिट लिया गया है' और 'गलत तरीके से उपयोग किया गया, उस तारीख से ब्याज देय होना चाहिए क्रेडिट का गलत उपयोग किया गया है-यदि प्रावधान पूर्ण रूप से पढ़ा जाता है, 'लिया गया' या 'गलत तरीके से उपयोग किया गया' या 'गलत तरीके से प्रयोग किया गया है' के बीच 'या' शब्द को पढ़ने का कोई कारण नहीं है। तीन घटनाओं में से किसी के होने पर, सेनवैट क्रेडिट ब्याज के साथ वसूली योग्य हो जाता है-क़ानूनों की व्याख्या- नियम केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944- धारा 11-एबी।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1944:

धारा 32-एम धारा 32- एफ(7) के साथ पढ़ें। निपटान आयोग द्वारा पारित आदेश-अंतिम रूप से आयोजित - निपटान आयोग द्वारा पारित आदेश में केवल तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जब उक्त आदेश अधिनियम के किसी भी प्रावधान के विपरीत पाया जाता है-जहाँ तक आयोग द्वारा अभिलिखित तथ्य के निष्कर्ष हैं या तथ्य के प्रश्नों का संबंध है,वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं हैं।निर्णय/आदेश।

क़ानूनों की व्याख्या: कर कानून-आयोजितः जो स्पष्ट है उसकी रोशनी में व्याख्या की जानी चाहिए-नीचे पढ़ने का नियम-समझाया गया।

राजस्व ने तत्काल अपील दायर की उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए जिसके द्वारा उसने निपटान आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-05-2007 में हस्तक्षेप किया अपने अंतिम स्पष्टीकरण के लिए एक आवेदन पर आयोग निर्धारिती को भुगतान करने का निर्देश देते हुए दिनांकित 19-01-2007 का आदेश गलत तरीके से लिए गए सेनवैट क्रेडिट पर ब्याज सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने की तारीख से नहीं ऐसे ऋण की शेष राशि के किसी हिस्से के उपयोग की तारीख, और अभिनिर्धारित किया कि सेनवैट क्रेडिट के नियम 14 के प्रावधान नियम, 2004 को इस अर्थ में पढ़ा जाएगा कि कहाँ सेनवैट क्रेडिट लिया गया था और/या गलत तरीके से

उपयोग किया गया था, ब्याज केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और इसके नियम 3 और 4 क्रेडिट नियम, ब्याज का दावा सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ उठाने की तारीख से नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिस तारीख से सेनवैट क्रेडिट गलत उपयोगकिया था, उस तारीख से देय हो जाता है।

न्यायालय ने अपील को अनुमति देते हुए,अभिनिर्धारित किया ।

1.1 निपटान आयोग के आदेश का अवलोकन प्रति वर्ष केवल 10 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान।गलत तरीके से लिए गए सेनवैट क्रेडिट पर शुल्क की तारीख से देय हो गया। इस तरह के सरल ब्याज 10 प्रतिशत प्रति वर्ष लागू करना न्यूनतम था।जबकि 36 प्रति वर्ष की दर से ब्याज का उद्ग्रहण था।

धारा 11-एबी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के संदर्भ में। कारण दर्शाओ नोटिस में लगाए गए आरोप प्रत्यर्थी द्वारा स्वीकार किया गया था जो इसलिए यह स्थापित करता है कि प्रत्यर्थी ने गलत तरीके से सेनवैट क्रेडिट वर्ष2001 से 31.03.2006 तक लिये और भुगतान केवल 22.02.2006 और मार्च, 2006 में पाँच अलग-अलग तिथियाँ पर और 20.11.2006 पर किया गया था।जो इगित करता है कि उत्तरदाताओं को सेनवैट क्रेडिट की बड़ी राशि का लाभ मिला था जिसके लिए वे अन्यथा हकदार नहीं है। [पैरा 12] [1098]

1.2 निपटान आयोग का आदेश भी इंगित करता है कि प्रतिवादी को दंड और अभियोजन से पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान की गई थी । आदेश यह था कि प्रत्यर्थी द्वारा किसी भी मंच पर चुनौती नहीं दी गई और इसलिए यह धारा 32 एम. अधिनियम,के संदर्भ में अंतिम और निर्णायक बन गया। जिसमें कहा गया है कि निपटान का प्रत्येक आदेश धारा 32 एफ(7) के तहत पारित किया गया निर्णायक होगा उसमें बताए गए मामलों के लिए इस शर्त के अधीन है कि जब कोई समझौता आदेश धोखाधड़ी या तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करके प्राप्त किया जाता है, तो ऐसा आदेश अमान्य होगा। उक्त प्रावधानों के अनुसार, ऐसे आदेश के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत किसी भी कार्यवाही में दोबारा नहीं खोला जा सकता ह। [पैरा 13] [1098]

1.3 सेनवैट क्रेडिट के नियम 14 के अवलोकन से प्रकट है कि निर्माता या आउटपुट सेवा का प्रदाता शुल्क के साथ-साथ ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है जहां सेनवैट क्रेडिट लिया गया है या गलत तरीके से उपयोग किया गया है या गलती से वापस कर दिया गया है और उपरोक्त के मामले में ऐसी वसूली के लिए धारा 11 एबी का प्रावधान लागू होगा। उच्च न्यायालय ने इसे पढ़कर इसका अर्थयह निकाला कि जहां सेनवैट क्रेडिट लिया गया है और गलत तरीके से उपयोग

किया गया है, उस तारीख से ब्याज देय होना चाहिए, जिस तारीख से सेनवेट क्रेडिट का गलत उपयोग किया गया है

उच्च न्यायालय के अनुसार, ब्याज का दावा नहीं किया जा सकता है केवल इस कारण से कि सेनवैट क्रेडिट दिया गया है गलत तरीके से लिया गया इस तरह का लाभ स्वयं पैदा नहीं करता है उत्पाद शुल्क के भुगतान का कोई दायित्व। [पैरा 16-17] [1099; 1100]

1.4 उच्च न्यायालय ने नियम 14 को गलत पढ़ा और गलत व्याख्या की और इसे ठीक से पढ़े बिना गलत तरीके से इसके दायरे और सीमा की सराहना करना। एक वैधानिक प्रावधान को आम तौर पर पढ़ा जाता है ताकि उक्त को बचाया जा सके। असंवैधानिक या अवैध घोषित किए जाने का प्रावधान। नियम 14 विशेष रूप से प्रदान करता है कि जहां सेनवैट क्रेडिट गलत तरीके से लिया गया है या उपयोग किया गया है या गलती से वापस किया गया, ब्याज के साथ वही निर्माता या प्रदाता से वसूल किया जाए उत्पादन सेवा। यदि नियम 14 को समग्र रूप से पढ़ा जाए तो बीच में "या" शब्द को पढ़ने का कोई कारण नहीं है।'लिया गया' या 'गलत तरीके से उपयोग किया गया' या 'गलती से वापस कर दिया गया है' शब्द के रूप में 'और'। जिस पर उपर्युक्त तीन परिस्थितियों में से किसी का होना इस तरह का ऋण ब्याज के साथ वसूली योग्य हो जाता है। अन्य सामंजस्यपूर्ण निर्माण दिए जाने की आवश्यकता नहीं है उपरोक्त

अभिव्यक्ति/प्रावधान जो स्पष्ट है और असंदिग्ध क्योंकि यह अपने आप में मौजूद है।[पैरा 17-18] [1100 ब]1.5 जहां तक धारा 11 एबी का सवाल है, यह देय और देने योग्य राशि की वसूली के उद्देश्य से प्रासंगिक और लागू हो जाता है।इसलिए, उच्च न्यायालय ने गलती से माना कि सेनवैट क्रेडिट के गलत लाभ की तारीख से ब्याज का दावा नहीं किया जा सकता है और यह केवल उस तारीख से देय होना चाहिए जब सेनवैट क्रेडिट का गलत उपयोग किया गया है। [पैरा18] [1100-एफ-जी]

2.1 इसके अलावा, नीचे पढ़ने का नियम अपने आप में एक नियम है, एक अलग नाम में सामंजस्यपूर्ण निर्माण। इसका उपयोग आम तौर पर एक क़ानून को व्यवहार्य बनाने के लिए किया जाता है। इस न्यायालय ने बार-बार यह निर्धारित किया है कि किसी प्रावधान को पढ़ने की आड़ में यह प्रावधान/क़ानून में नहीं पाए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों को पढ़ने के लिए खुला नहीं है और इस प्रकार न्यायिक कानून बनाने का जोखिम नहीं उठाता है। इस न्यायालय द्वारा यह भी माना गया है कि पढ़ने के नियम का उपयोग किसी विशेष प्रावधान को व्यावहारिक बनाने और इसे क़ानून के अन्य प्रावधानों के साथ सामंजस्य बनाने के सीमित उद्देश्य के लिए किया जाना चाहि और इसे क़ानून के अन्य प्रावधानों के अनुरूप बनाना। इसलिए, निर्धारिती को राहत देने के लिए "आैर" शब्द को "एडं" से प्रतिस्थापित करके प्रावधान को पढ़ने का उच्च न्यायालय का प्रयास गलत पाया गया है। एक बार उक्त क्रेडिट लेने के बाद लाभार्थी क्रेडिट नियमों के अधीन,

उसके तुरंत बाद, इसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है, क्रेडिट नियमों के अनुसार। [पैरा 18 और 20] [1100; 1101; 1102; 1103]

कलकत्ता गुजराती एजुकेशन सोसाइटी और एक अन्य वी. कलकत्ता नगर निगम और अन्य 2003 (2) पूरक। एस. सी. आर. 915 = (2003) 10 एस. सी. सी. 533 और बी. आर. उद्यम बनाम। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य 1999 (2) एस. सी. आर. 1111 = (1999) 9 एस. सी. सी. 700- पर निर्भर।

2.2 एक कर कानून की व्याख्या स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई बातों के आलोक में की जानी चाहिए। कर कानून में एक आयात प्रावधान की अनुमति नहीं है किसी अनुमानित कमी की आपूर्ति के लिए । [पैरा 19] [1102]

कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स, यूपी बनाम मोदी शुगर मिल्स लिमिटेड(1961) 2 एससीआर 189 पर निर्भर था।

3.1 निपटान आयोग द्वारा पारित किसी आदेश में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जब उक्त आदेश अधिनियम के किसी प्रावधान के विपरीत पाया जाए। जहां तक आयोग द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों या तथ्यों के प्रश्न का संबंध है, यह उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच के लिए खुला नहीं है तत्काल मामले में, निपटान आयोग का आदेश स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उसका आदेश, विशेष

रूप से,प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज लगाने के संबंध में नियम 14 के प्रावधान के अनुसार पारित किया था लेकिन उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से उक्त नियम की व्याख्या की और गलत निष्कर्ष पर पहुंचे। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किया जाता है और निपटान आयोग का आदेश पुनर्स्थापित किया। [पैरा 21 और 23] [1103-बी-डी, एफ]

मामला कानून संदर्भः

1999 (2) एससीआर 1111	भरोसा	पैरा 18
(1961) (2) एससीआर 189	भरोसा	पैरा 19

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः 2011 की सिविल अपील सं 1976

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय,चंडीगढ़ के 2007 के रिट याचिका सं 13860 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 03.07.2009 से।

विश्वजीत भट्टाचार्य, एएसजी, शिप्रा घोष, बी. कृष्णा प्रसाद अपीलार्थियों के लिए।

बलवीर सिंह, रूपेंद्र सिंह, अभिषेक सिंह बघेल,राजेश कुमार प्रत्यर्थी की ओर से।

डॉ. मुकुंदकम शर्मा ,जे. द्वारा निर्णय पारित किया गया

1. अनुमति दी गई।

2. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान अपील सिविल रिट याचिका संख्या 13860 में पारित 2007 की दिनांक 03.07.2009 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने सेनवैट क्रेडिट पर ब्याज के भुगतान के संबंध में निपटान आयोग के आदेश में हस्तक्षेप कर अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ताओं ने गलत तरीके से सेनवेट क्रेडिट पर ब्याज का दावा, उस तारीख से किया जब ऐसा क्रेडिट गलत तरीके से लिया गया बजाय जब क्रेडिट वास्तव में उपयोग किया गया। उच्च न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी रु.50 लाख की राशि पर 31.01.2007 तक ब्याज का दावा करने के हकदार न हैं,जैसा कि उक्त राशि पहले से ही 08.03.2006 को जमा की गई।

3. यहां प्रतिवादी, अर्थात, मैसर्स। इंड-स्विफ्ट लेबोरेटरीज लिमिटेड, थोक दवाओं का निर्माता है, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची के अध्याय 30 के अंतर्गत आता है। कंपनी ने विभिन्न निर्माताओं / डीलरों से इनपुट और पूंजीगत सामान प्राप्त किया और शुल्क पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाया। खुफिया रिपोर्ट के आधार पर, 08.03.2006 को प्रतिवादी के कारखाने परिसर और विभिन्न स्थानों पर उसकी समूह कंपनियों की तलाशी ली गई। गाजियाबाद और नोएडा में

बड़ी संख्या में फर्मों के कार्यालयों में भी तलाशी ली गई, जिन्होंने कथित तौर पर प्रतिवादी और उसके समूह की कंपनियों को बिना किसी सामान के चालान जारी किए थे। उसी समय दलाल श्री आरपी जैन और श्री जेपी सिंह के आवासीय परिसरों की भी तलाशी ली गई और विशेष रूप से श्री आरपी जैन के आवास की तलाशी के दौरान स्विफ्ट समूह द्वारा उन पक्षों को जारी की गई फाइलें और चेक जिनसे बिना सामग्री के चालान प्राप्त किए जा रहे थे वसूला गया। ऐसा भी प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने जांच की जिससे संकेत मिला कि प्रतिवादी ने फर्जी चालान पर सेनवैट क्रेडिट लिया था।परिणामस्वरूप, प्रतिवादी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 08.12.2006 जारी किया गया, जिसका उत्तर भी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी कंपनी ने भी कार्यवाही के निपटान के लिए आवेदन दायर किया और परिणामस्वरूप पूरा मामला निपटान आयोग के समक्ष रखा गया।

4. निपटान आयोग के समक्ष यह स्वीकृत स्थिति थी कि मामला27.10.2001 से 31.03.2006 की अवधि से संबंधित है। प्रतिवादी कंपनी ने कारण बताओ नोटिस दिनांक 08.12.2006 के अनुसार सभी आरोपों और शुल्क दायित्व को भी स्वीकार किया। प्रतिवादी ने 5,71,47,148/-रुपये का पूरा शुल्क भी जमा कर दिया। चूंकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 [संक्षेप में "अधिनियम"] की धारा 32ई(1) के तहत निर्धारित मामले को स्वीकार करने की शर्तों/मापदंडों को पूरा किया गया था और उनका अनुपालन कियगया था, इसलिए निपटान के लिए

प्रतिवादी के आवेदन पर विचार किया गया और अधिनियम की धारा 32F(1) के अनुसार कार्यवाही की गई।

अभिलेखों पर विचार करने और पक्षों को सुनने के बाद आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि गलत सेनवैट क्रेडिट वर्ष 2001 से 31.03.2006 तक लिया गया था, भुगतान रिफंड 22.02.2006 और मार्च , 2006 में पांच अलग-अलग तिथियों पर और 20.11.2006 को किया गया है।इसलिए, प्रतिवादी को बड़ी मात्रा में सेनवैट क्रेडिट का लाभ मिला, जिसके वे हकदार नहीं थे। उक्त तथ्य पर विचार करते हुए, आयोग ने महसूस किया और उसका विचार था कि सेनवैट क्रेडिट के गलत लाभ पर प्रतिवादी को उचित ब्याज देयता वहन करनी होगी। तदनुसार, प्रतिवादी के आवेदनों को निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन अधिनियम की धारा 32 एफ(7) के तहत निपटाया गया: -

> "(ए) सेनवैट क्रेडिट के गलत लाभ से संबंधित शुल्क की राशि 5,71,47,148/- रुपये तय की गई है। चूंकि पूरी राशि आवेदक द्वारा पहले ही भुगतान की जा चुकी है, इसलिए कोई और शुल्क देय नहीं है। बेंच ने निर्देश दिया कि आवेदक द्वारा जमा की गई उक्त राशि इस आदेश में निर्धारित शुल्क की राशि के विरुद्ध विनियोजित की जाएगी। उपरोक्त के अलावा, 78,97,255/- रुपये का

अस्वीकार्य सेनवैट क्रेडिट, जैसा कि कारण बताओ नोटिस के पैरा 23 (ए) (ii) में उल्लिखित है,अस्वीकार्य है।

(बी) प्रति वर्ष 10% से अधिक साधारण ब्याज पर ब्याज से छूट प्रदान की जाती है। तदनुसार, आवेदक को अधिनियम की धारा 11एबी के अनुसार शुल्क देय होने की तारीख से भुगतान की तारीख तक गलत तरीके से प्राप्त सेनवैट क्रेडिट(यानी, 5,71,47,148/- रुपये) पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा । राजस्व को इस आदेश के अनुसार ब्याज की राशि की गणना करने और इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर आवेदक को सूचित करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद, आवेदक उक्त सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर ब्याज की राशि का भुगतान करेगा और बेंच और राजस्व दोनों को अनुपालन की रिपोर्ट देगा।"

5. उक्त आदेश में यह भी विशेष रूप से दर्ज किया गया है कि प्रतिवादी को दंड और अभियोजन से पूर्ण छूट दी जाएगी। उक्त आदेश के पारित होने के बाद, प्रतिवादी ने स्पष्टीकरण के लिए एक विविध आवेदन दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी ने बिना किसी विरोध के जांच के दौरान शुल्क की पूरी राशि जमा

कर दी थी और अंतिम आदेश के बाद, राजस्व ने प्रतिवादी का दायित्व ब्याज की गणना रु. 1,47,90,065/-की है और राजस्व ने उक्त ब्याज की गणना जमा राशि के विनियोग की तिथि तक की है न कि भुगतान की तिथि तक। आगे यह तर्क दिया गया कि ब्याज की गणना वास्तविक उपयोग की तारीख से की जानी चाहिए, न कि प्राप्ति की तारीख से। परिणामस्वरूप, उक्त आवेदन में प्रार्थना की गई कि निपटान आयोग प्रतिवादी की ब्याज देयता की वास्तविक राशि को स्पष्ट कर सकता है और न्याय और इक्विटी के हित में ब्याज के भुगतान की अवधि बढ़ा सकता है।

6. उक्त आवेदन पर विचार किया गया तथा पक्षों को सुनने के बाद आवेदन खारिज कर दिया गया। उक्त आवेदन को खारिज करते हुए बेंच ने कहा कि अंतिम आदेश बहुत स्पष्ट शब्दों में बताता है कि प्रतिवादी को अधिनियम की धारा 11AB के अनुसार गलत तरीके से प्राप्त सेनवैट क्रेडिट पर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का भुगतान शुल्क देय होने की तारीख से भुगतान की तारीख तक करना होगा।और यह कि आवेदन गलत है और किसी भी स्पष्टीकरण का कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि शुल्क के भुगतान की तारीख तक ब्याज की गणना की जानी है। यह भी माना गया कि ब्याज भी सेनवैट क्रेडिट प्राप्त करने की तारीख के संदर्भ में देय है, न कि ऐसे क्रेडिट के शेष के एक हिस्से के उपयोग की तारीख से। आयोग ने माना कि इस तरह का मुद्दा निपटान

आयोग के समक्ष पहले कभी नहीं उठाया गया था।आयोग ने आवेदन को अस्वीकार करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया:

-"उक्त कारण बताओ नोटिस के पैरा 23 में आवेदक द्वारा धोखाधड़ी से प्राप्त

सेनवैट क्रेडिट की मांग करने का प्रस्ताव है, न कि आवेदक द्वारा उपयोग की गई सेनवैट की राशि। इस प्रकार, यह स्वाभाविक है कि ब्याज भी तारीख के संदर्भ में देय है। सेनवैट क्रेडिट का लाभ और ऐसे क्रेडिट के शेष के एक हिस्से के उपयोग की तारीख से नहीं। किसी भी मामले में, यह मुद्दा निपटान के आवेदन में या निपटान के समय नहीं उठाया गया था। बेंच से एक प्रश्न में, विद्वान अधिवक्ता भी निपटान कार्यवाही के दौरान इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में, बेंच को इस संबंध में राजस्व द्वारा अपनाई गई प्रथा पर जाने का कोई औचित्य नहीं लगता है है। किसी भी मामले में, यह एक नया बिंदु है जो अंतिम आदेश में निर्णय के लिए नहीं उठा था और जिस पर आवेदक स्पष्टीकरण मांगने की आड़ में निर्णय नहीं मांग रहा है। आयोग ने उन मुद्दों पर पहले ही निर्णय ले लिया है जो निपटान आवेदन के माध्यम से उसके सामने लाए

गए थे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 32 एम आयोग को पारित अंतिम आदेश पर पुनः सुनवाई करने से रोकती है। इसलिए, मामले में पहले ही पारित अंतिम आदेश उसमें बताए गए मामलों के संबंध में निर्णायक था और बाद में उठाए गए उक्त बिंदु पर निर्णय लेने के उद्देश्य से इसे दोबारा नहीं खोला जा सकता है।"

7. हालाँकि, प्रतिवादी ने तय दायित्व के संदर्भ में पूरी राशि का भुगतान नहीं किया। नतीजतन, अपीलकर्ता के कार्यालय से 16.08.2007 को एक पत्र जारी किया गया जिसमें अपीलकर्ता को आदेश दिनांक 19.01.2007 के अनुसार शेष राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

8. रिकॉर्ड से पता चलता है कि उपरोक्त पत्र की प्राप्ति के तुरंत बाद प्रतिवादी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसे 2007 की सिविल रिट याचिका संख्या 13860 2007 के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिसमें आदेश दिनांक 31.05. 2007 को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी। जिसे निपटान आयोग द्वारा स्पष्टीकरण मांगने वाले आवेदनों पर पारित किया गया था और पत्र दिनांक 16.08.2007 जिसके द्वारा अपीलकर्ता के कार्यालय ने प्रतिवादी से

आदेश दिनांक 19.01.2007 के संदर्भ में शेष राशि जमा करने का अनुरोध किया था।

9.उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया और उक्त रिट याचिका पर पक्षों को सुना। अपने निर्णय और आदेश दिनांक 03.07.2009 द्वारा उक्त रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए अनुमति दी थी कि सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 14 [संक्षेप में "क्रेडिट नियम"] का मतलब है कि जहां सेनवैट क्रेडिट गलत तरीके से लिया गया है और/या उपयोग किया गया है, तो सेनवेट क्रेडिट पर उस तारीख से ब्याज देय होना चाहिए, जिस तारीख से उक्त क्रेडिट का गलत तरीके से उपयोग किया गया है और ब्याज का दावा केवल इस कारण से नहीं किया जा सकता है कि सेनवेट क्रेडिट गलत तरीके से लिया गया है, जैसे कि लाभ स्वयं उत्पाद शुल्क के भुगतान का कोई दायित्व नहीं बनता है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि टैरिफ अधिनियम की धारा 11 एबी और क्रेडिट नियमों के नियम 3 और 4 को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, सेनवैट क्रेडिट के गलत लाभ की तारीख से ब्याज का दावा नहीं किया जा सकता है और ब्याज तब से देय होगा दिनांक सेनवैट क्रेडिट का गलत उपयोग किया गया।

10. उपरोक्त निर्णय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई थी, जिस पर विचार किया गया और प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया, जिसकी

प्राप्ति पर, वे उपस्थित हुए हैं। जब मामले को अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध किया गया तो पक्षों की ओर से उपस्थित वकीलों को विस्तार से सुना गया। वर्तमान निर्णय और आदेश के अनुसार अब हम अपने कारणों को दर्ज करके उक्त अपील का निपटान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।

11. यहां ऊपर दिए गए तथ्यों से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी ने कारण बताओ नोटिस में उठाए गए सभी आरोपों और दिनांक 08.12.2006 के उक्त कारण बताओ नोटिस के तहत कर्तव्य दायित्व को भी स्वीकार कर लिया है। उन्होंने रुपये 5,71,47,148/-की पूरी ड्यूटी भी जमा कर दी कारण बताओ नोटिस जारी होने से पहले और, इसलिए, उन्होंने अधिनियम की धारा 32 एफ के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 32 ई के संदर्भ में कार्यवाही के निपटान का अनुरोध किया। उक्त निपटान कार्यवाही कानून के अनुसार आयोजित की गई थी और दिनांक 19.01.2007 के आदेश द्वारा उन नियमों और शर्तों पर अंतिम रूप दिया गया था जो यहां पहले ही निकाली जा चुकी हैं।

12. उक्त आदेश के अवलोकन से प्रकट है कि निपटान आयोग ने गलत तरीके से प्राप्त सेनवैट क्रेडिट पर केवल 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के भुगतान का दायित्व लगाया है, अर्थात रु 5,71,47,148/- पर शुल्क देय होने की तिथि से। अतः 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से इस तरह का साधारण ब्याज लगाना न्यूनतम था,जबकि 36

प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाना अधिनियम की धारा 11 एबी के संदर्भ में सबसे अधिक था। इसके अलावा,कारण बताओ नोटिस में लगाए गए आरोपों को प्रतिवादी ने स्वीकार कर लिया, जिससे यह स्थापित होता है कि प्रतिवादी ने वर्ष 2001 से 31.03.2006 तक गलत तरीके से सेनवैट क्रेडिट लिया था और भुगतान केवल 22.02.2006 और मार्च, 2006 में अलग-अलग पांच तारीखें और 20.11.2006 को किया गया है।जो इंगित करती हैं कि प्रतिवादी को बड़ी मात्रा में सेनवैट क्रेडिट का का लाभ मिला, जिसके वे अन्यथा हकदार नहीं थे।

13. निपटान आयोग का आदेश यह भी इंगित करता है कि प्रतिवादी को दंड और अभियोजन से पूर्ण छूट दी गई थी। उपरोक्त आदेश को प्रतिवादी द्वारा किसी भी मंच पर चुनौती नहीं दी गई थी और इसलिए, यह अधिनियम की धारा 32 एम के संदर्भ में अंतिम और निर्णायक बन गया, जिसमें कहा गया है कि धारा 32 एफ की उप-धारा 7 के तहत पारित निपटान का प्रत्येक आदेश निर्णायक होगा। उसमें बताए गए मामलों पर इस शर्त के अधीन है कि जब निपटान आदेश धोखाधड़ी या तथ्य की गलत बयानी से प्राप्त किया जाता है, तो ऐसा आदेश शून्य होगा। उक्त प्रावधानों के अनुसार, ऐसे आदेश के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत किसी भी कार्यवाही में दोबारा नहीं खोला जा सकता है।

14. हालाँकि, बाद में, प्रतिवादी द्वारा स्पष्टीकरण के रूप में एक आवेदन दायर किया गया था, तथापि, उक्त आवेदन पर विचार नहीं किया गया था। यह माना गया कि उक्त आवेदन गलत है, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आयोग के समक्ष ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया गया था।हालाँकि, प्रतिवादी द्वारा निपटान आयोग के केवल दूसरे आदेश और अपीलकर्ता के कार्यालय से जारी किए गए बाद के पत्र को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसके आधार पर, उच्च न्यायालय ने निपटान आयोग द्वारा पारित पहले आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए भी कदम उठाया था।हमने उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए मुद्दे पर पक्षों की ओर से उपस्थित वकील को भी सुना।

15.नियम 14 के प्रावधान को पढ़कर उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की सराहना करने के लिए, हम इस स्तर पर उक्त नियम को पढना उचित समझते हैं जो इस प्रकार है:

> “14. गलत तरीके से लिए गए या गलत तरीके से वापस किए गए सेनवैट क्रेडिट की वसूली: - जहां सेनवैट क्रेडिट गलत तरीके से लिया गया है या उपयोग किया गया है या गलत तरीके से वापस किया गया है, तो इसे ब्याज सहित निर्माता या आउटपुट सेवा के प्रदाता और अनुभागों के प्रावधानों से वसूल किया जाएगा। उत्पाद शुल्क अधिनियम

की धारा 11-ए और 11-एबी या वित्त अधिनियम की धारा 73 और 75, ऐसी वसूली के लिए यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगी।"

16. उक्त नियम को पढ़ने से पता चलता है कि निर्माता या आउटपुट सेवा का प्रदाता शुल्क के साथ-साथ ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है जहां सेनवैट क्रेडिट लिया गया है या गलत तरीके से उपयोग किया गया है या गलती से वापस कर दिया गया है और उपरोक्त के मामले में ऐसी वसूली के लिए धारा 11 एबी का प्रावधान लागू होगा।

17. हमने उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश को बहुत ध्यान से पढ़ा है। उच्च न्यायालय ने इसे पढ़ते हुए यह अर्थ निकाला कि जहां सेनवैट क्रेडिट लिया गया है और गलत तरीके से उपयोग किया गया है, उस तारीख से ब्याज देय होना चाहिए, जिस तारीख से सेनवेट क्रेडिट का गलत उपयोग किया गया है, उच्च न्यायालय के अनुसार ब्याज का दावा केवल इस कारण से नहीं किया जा सकता है कि सेनवैट क्रेडिट गलत तरीके से लिया गया है क्योंकि इस तरह के लाभ से उत्पाद शुल्क के भुगतान की कोई देनदारी नहीं बनती है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 11 एबी और क्रेडिट नियमों के नियम 3 और 4 को संयुक्त रूप से पढ़ते हुए यह माना कि सेनवैट क्रेडिट के गलत लाभ की

तारीख से ब्याज का दावा नहीं किया जा सकता है और ब्याज उसी दिन से देय होगा जब दिनांक सेनवैट क्रेडिट का गलत उपयोग किया गया है। हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त नियम 14 की गलत व्याख्या की और इसके दायरे और सीमा को ठीक से समझे बिना इसे गलत तरीके से पढ़ा।किसी वैधानिक प्रावधान को आम तौर पर पढ़ा जाता है ताकि उक्त प्रावधान को असंवैधानिक या अवैध घोषित होने से बचाया जा सके। नियम 14 में विशेष रूप से प्रावधान है कि जहां सेनवैट क्रेडिट गलत तरीके से लिया गया है या उपयोग किया गया है या गलती से वापस कर दिया गया है, तो उसे ब्याज सहित निर्माता या आउटपुट सेवा प्रदाता से वसूल किया जाएगा। मुद्दा यह है कि क्या नियम 14 में दो बार आने वाले उपरोक्त शब्द "आैर" को "एंड" के रूप में पढ़ा जा सकता है जैसा कि उच्च न्यायालय ने किया है।यदि उपरोक्त प्रावधान को समग्र रूप से पढ़ा जाए तो हमें 'लिया गया' या 'गलत तरीके से उपयोग किया गया' या 'गलती से वापस कर दिया गया है' जैसे भावों के बीच में 'आैर' शब्द को 'एडं' शब्द के रूप में पढ़ने का कोई कारण नहीं मिलता है। उपरोक्त तीन परिस्थितियों में से किसी एक के घटित होने पर ऐसा ऋण ब्याज सहित वसूली योग्य हो जाता है।

18. हमें नहीं लगता कि उपरोक्त अभिव्यक्ति/प्रावधान को किसी अन्य सामंजस्यपूर्ण निर्माण की आवश्यकता है जो स्पष्ट और असंदिग्ध हो क्योंकि यह स्वयं ही अस्तित्व में है। जहां तक धारा 11एबी का सवाल है,

यह देय और देने योग्य राशि की वसूली के उद्देश्य से प्रासंगिक और लागू हो जाता है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने गलती से माना कि सेनवैट क्रेडिट के गलत लाभ की तारीख से ब्याज का दावा नहीं किया जा सकता है और यह केवल उस तारीख से देय होना चाहिए जब सेनवैट क्रेडिट का गलत उपयोग किया गया है। इस न्यायालय ने बार-बार यह निर्धारित किया है कि किसी प्रावधान को पढ़ने की आड़ में यह प्रावधान/क़ानून में नहीं पाए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों को पढ़ने के लिए खुला नहीं है और इस प्रकार न्यायिक कानून बनाने का जोखिम नहीं उठाता है। इस न्यायालय द्वारा यह भी माना गया है कि पढ़ने के नियम का उपयोग किसी विशेष प्रावधान को व्यावहारिक बनाने और इसे क़ानून के अन्य प्रावधानों के साथ सामंजस्य बनाने के सीमित उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। इस संबंध में हम कलकत्ता गुजराती एजुकेशन सोसाइटी और अन्य बनाम कलकत्ता नगर निगम और अन्य (2003) 10 एससीसी 533 में इस न्यायालय के फैसले का उचित रूप से उल्लेख कर सकते हैं जिसमें पैरा 35 में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का संदर्भ दिया गया था। बीआर एंटरप्राइजेज बनाम यूपी राज्य और अन्य के मामले में (1999) 9 एससीसी 700 में रिपोर्ट किया गया : -

> "81..... यह भी अच्छी तरह से तय है कि अदालतों द्वारा पहला प्रयास आरोपित प्रावधान को बनाए रखने के लिए किया जाना चाहिए, न कि इसे केवल इसलिए अमान्य

कर देना चाहिए क्योंकि संभावित व्याख्याओं में से एक के कारण ऐसा परिणाम,चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों न हो। इस प्रकार, जहां दो संभावित व्याख्याएं हैं, एक कानून को अमान्य करना और दूसरा कायम रखना, बाद वाले को अपनाया जाना चाहिए। इसके लिए, अदालतें कभी-कभी प्रतिबंधात्मक या व्यापक अर्थ देने का प्रयास करती रही हैं कानून की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए,शायद लाभकारी, दंडात्मक या राजकोषीय आदि। संचयी रूप से यह कानून के उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। पुराना सुनहरा नियम विधायिका के ज्ञान का सम्मान करना है कि वे कानून के बारे में जानते हैं और उन्होंने कभी ऐसा करने का इरादा नहीं किया होगा एक अमान्य कानून। यह अदालतों को अपने रास्ते पर रखता है और गलत रास्ते पर जाने के व्यक्तिगत उत्साह को रोकता है। फिर भी, इसके बावजूद, यदि विवादित कानून को बचाया नहीं जा सकता है तो अदालतें इसे रद्द करने में संकोच नहीं करेंगी। इसी तरह, किसी भी प्रावधान को बरकरार रखने के लिए, यदि इसे पढ़कर बचाया जा सकता है, ऐसा किया जाना चाहिए, जब तक कि स्पष्ट शब्दों में संविधान की अवहेलना न हो। ये व्याख्याएँ अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी

कानून को बचाने और केवल एक संभावित सरल व्याख्या के कारण इसे गिरने न देने की अदालतों की चिंता के कारण सामने आती हैं। शब्द स्थिर नहीं बल्कि गतिशील हैं। इससे व्याख्या के क्षेत्र में उर्वरता का संचार होता है। यह समान रूप से एक अधिनियम को बचाने में मदद करता है लेकिन अधिनियम पर हमले का कारण भी बनता है। यहां अदालतों को, निस्संदेह, संविधान का उल्लंघन किए बिना, फसल से जंगली जानवरों को हटाने में सतर्क भूमिका निभानी होगी। ऐसा करने के लिए, अदालतों ने प्रस्तावना, वस्तुओं, अधिनियम की योजना, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐसे प्रावधान को लागू करने का उद्देश्य, शरारत, यदि कोई मौजूद थी,जिसे समाप्त करने की मांग की है, की मदद ली है..... हालांकि, पढ़ने का यह सिद्धांत वहां उपलब्ध नहीं होगा जहां किसी भी विवादित प्रावधानों को पढ़ने से स्पष्ट और शाब्दिक अर्थ स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह मनमाना प्रदान करता है, अनियंत्रित या बेलगाम शक्ति।" (जोर दिया गया)"

19. एक कर कानून की व्याख्या स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई बातों के आलोक में की जानी चाहिए। कर कानून में एक आयात प्रावधान की अनुमति नहीं है किसी अनुमानित कमी की आपूर्ति के लिए। इसके समर्थन

में हम कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स, यूपी बनाम मोदी शुगर मिल्स लिमिटेड में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं, जो (1961) 2 एससीआर 189 में रिपोर्ट किया गया था , जिसमें इस न्यायालय ने पैरा 10 में इस प्रकार देखा था:

> "10..... किसी कर संबंधी क़ानून की व्याख्या करने में, न्यायसंगत विचार पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं। न ही कर लगाने वाले क़ानूनों की व्याख्या किसी भी अनुमान या धारणा पर की जा सकती है। अदालत को क़ानून के शब्दों को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए और व्याख्या करनी चाहिए उन्हें। इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई बातों के आलोक में कर निर्धारण क़ानून की व्याख्या करनी चाहिए: यह ऐसी किसी भी चीज़ का संकेत नहीं दे सकता है जो व्यक्त नहीं की गई है; यह क़ानून में प्रावधानों को आयात नहीं कर सकता है ताकि किसी भी अनुमानित कमी को पूरा किया जा सके।"

20. इसलिए, निर्धारिती को राहत देने के लिए "और" शब्द को "एडं" से प्रतिस्थापित करके प्रावधान को पढ़ने का उच्च न्यायालय का प्रयास गलत पाया गया है। इस संबंध में अपीलकर्ता के वकील की दलील अच्छी तरह से स्थापित है कि एक बार उक्त क्रेडिट लेने के बाद लाभार्थी क्रेडिट

नियमों के अधीन, उसके तुरंत बाद, इसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

21. निपटान आयोग द्वारा पारित किसी आदेश में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जब उक्त आदेश अधिनियम के किसी प्रावधान के विपरीत पाया जाए। जहां तक आयोग द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों या तथ्यों के प्रश्न का संबंध है, यह उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच के लिए खुला नहीं है। वर्तमान मामले में निपटान आयोग का आदेश स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उक्त आदेश, विशेष रूप से, प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज लगाने के संबंध में, नियम 14 के प्रावधानों के अनुसार पारित किया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसकी गलत व्याख्या की। नियम ने कहा और इस तरह एक गलत निष्कर्ष पर पहुंचे।

22. जहां तक दूसरा मुद्दा 50 लाख रुपये पर ब्याज के संबंध में है। तथ्यात्मक मुद्दा होने के कारण रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए था और उच्च न्यायालय को निपटान आयोग की राय के विरुद्ध अपनी राय नहीं रखनी चाहिए थी, जबकि इसे गुणावगुण पर चुनौती नहीं दी गई थी।

23. मामले को ध्यान में रखते हुए, हम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले और आदेश को रद्द कर देते हैं और

निपटान आयोग के आदेश को बहाल करते हैं। पक्षकार अपनी अपनी कोस्ट का वहन स्वयं करेंगे।

आर. पी. अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रिदम अनेजा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

धन्यवाद।